न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

ण संख्या 25/2020

फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल0बी0एस0 कॉलेज के
, तिलक नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी यादवेन्द्र सिंह

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री संजय कुमार सैनी पुत्र श्री नन्दलाल सैनी, पता वार्ड नं0 22, चूंगी नं0 3, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं राजस्थान 333307

—— ऋणी व बंधनकर्ता

2. श्रीमती सीता देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश सैनी, पता चूंगी नं0 3 के पास, कुवा कानु हाला, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं राजस्थान 333307

—— सह ऋणी

3. श्रीमती नन्दलाल सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी, पता कुवा कानु हाला, चूंगी नं0 3, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं राजस्थान 333307

—— सह ऋणी

4. श्री हर्ष राम सैनी पुत्र श्री मूलचन्द, पता कुवा सावन वाला, वार्ड नं0 16, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं राजस्थान 333307

—— सह ऋणी

5. श्रीमती ममता सैनी पुत्री श्री पुखराज भाटी पत्नि श्री संजय कुमार सैनी, पता चूंगी नं0 3, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं राजस्थान 333307

—— सह ऋणी

ार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002

——

स्थितः—

1 एडवोकट श्री योगेन्द्र सिंह (जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड) — प्रार्थी बैंक की ओर से
2 श्री संदीप सैनी, एडवोकेट— अप्रार्थी सं0 1 की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
(जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू)

आदेश

दिनांक 25.11.2021

प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार क्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 102, कंचन ार्टमेन्ट, एल0बी0एस0 कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर मे स्थित व कार्यरत है जिसको शाश्वत धिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। वादी वित्तीय संस्था का एक बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल0बी0एस0 लेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर के प्राधिकृत अधिकारी यादवेन्द्र सिंह है। वह रिकार्ड के आधार पर र्थना पत्र के सभी तथ्यों से भी परिचित है। वह उनको प्रार्थी जम्बा फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड र्यालय की ओर से साक्ष्य देने व प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर व सत्यापन करने का अधिकार है। इन्हे प्रार्थना के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण को वित्तीय संस्था ने ता संख्या 74416 को दिनांक 31.03.2018 को ऋण रूपये 1,65,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया एवं ण वितरण रूपये 1,65,00,000/– किया। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान क्योरिटी के रूप मे अपनी निम्न अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस पर निर्मित मकान भी प्रार्थी के पक्ष मे गिरवीकृत किया जिसका विवरण नीचे वर्णित है :–

संजय कुमार सैनी पुत्र श्री नन्दलाल सैनी की सम्पत्ति जो कि खसरा नं0 1104, वार्ड नं0 22, दयपुरवाटी, झुंझुनूं राजस्थान पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न ा है जिसका माप 128 वर्ग गज है (सेल डीड दिनांक 05.04.2018 दस्तावेज नं0 201803330100583)

तर मे : संजय कुमार सैनी की भूमि
क्षिण मे : 30 फीट चौडी सी09सी0 सडक
ं मे : गोरू राम का मकान
श्चिम मे : ताहीरा का मकान

प्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सकें और भुगतान मे व्यतिक्रम व तिदेय होने पर 09.09.2019 अप्रार्थीगण के खाते को एन0पी0ए0 घोषित कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाता ख्या 74416 मे बकाया रूपये 1,62,73,298/– (अक्षरे रूपये एक करोड बासठ लाख तिहत्तर हजार दो अठानवे मात्र) दिनांक 04.12.2019 तक व आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान करने के ए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के न्तर्गत दिनांक 19.12.2019 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी न्हे देय राशि का भुगतान प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को नही दिया। अप्रार्थीगण ने देय ण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को नही किया है। क्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड उक्त वर्णित सिक्यूरिटी हनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष राशि को वसूल करने का अधिकारी है। तः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 मे दिया गया है ा कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा रे जो झुंझुनूं जिले मे स्थित है व आपके अधिकार क्षेत्र मे आती है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते ये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:35 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों ... विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत कया कि प्रार्थी फाइनेन्स कम्पनी आर0बी0आई से रजि... ... कम्पनी द्वारा आर0बी0आई के नियमो की पालना भी नही की जा रही है ... के कारण व्यापार ठप्प

कलक्टर झुंझुनूं
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं)

समय पर किश्त जमा नही करवा सका। आर0बी0आई की गाईडलाईन के अनुसार कोरोनाकाल मे नही लेने के निर्देश है जिसका पालन प्रार्थी फाइनेन्स कम्पनी नही कर रही है। बहस के दौरान अप्रार्थी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 की धारा 4 की प्रति पेश कर इसके नं0 घ व ड. की ओर ध्यान आकृषित कर निवेदन किया कि प्रार्थी वित्तीय कम्पनी किसी समय पर की उप धारा (3) के खण्डों (क) से (छ) मे निर्दिष्ट किन्ही शर्तो को पूरी करने मे असफल हो असफल होती है तो रिजर्व बै।क प्रतिभूतिकरण कम्पनी या पुर्नगठन कम्पनी को स्वीकृत पंजीकरण पत्र को निरस्त कर सकेगा। कम्पनी द्वारा उक्त शर्तो की पालना नही की गई है जिसके कारण प्रार्थी र्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी जम्बो स्ट (इण्डिया) लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। प्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का करते हुये बंधक रखी गई सम्पति श्री संजय कुमार सैनी पुत्र श्री नन्दलाल सैनी खसरा नं0 1104, नं0 22, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं राजस्थान पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी त के अभिन्न अंग है जिसका माप 128 वर्ग गज है का पजेशन प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) ड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश ति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी जम्बो स्ट (इण्डिया) लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध ।

आदेश आज दिनांक **25.01.2021** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:35 IST
Reason: SelfAttested